

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

29.10.2021

मिसल नम्बर

08/2021/प्रा.पत्र/2021

तारीख दायरा

21.01.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री नारायण सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपुरोहित निवासी बागर बस्ती वार्ड नं० 01 उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज०
- 2-मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज०

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
(2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 54 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-


- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा०सु०अ० स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-


दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.11.2020 को समय 1.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज० पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री नारायण सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपुरोहित निवासी बागर बस्ती वार्ड नं० 01 उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज० खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट्स) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री नारायण सिंह राजपुरोहित को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता नारायण सिंह राजपुरोहित एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



1432


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



आवेदक द्वारा दुकान के काउन्टर में एल्यूमिनियम की 10 ट्रे में लगभग 35-40 किलोग्राम मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट्स) रखे हुये में से एक एल्यूमिनियम की ट्रे का चयन कर पूर्णतया होमोजिनियस कर एक ट्रे में 2 किलोग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता, श्री नारायण सिंह राजपुरोहित को रू 400/- अक्षरे चार सौ रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट्स) 2 किलोग्राम को बराबर-बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर प्रत्येक डिब्बे में 500-500 ग्राम भरकर प्रत्येक डिब्बे में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40-40 बूंदें डालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बंद किया एवं नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2685 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2685 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, नारायण सिंह राजपुरोहित के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4397 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं 0 एल0एस0/1967/एक्ट/2020/1896 दिनांक 20.11.2020 अनुसार नारायण सिंह राजपुरोहित से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट्स) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (i) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous Matter) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) व बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous Matter) स्तर का मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट्स) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का



उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट्स) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) व बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous Matter) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट्स)का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) व बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous Matter) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री नारायण सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपुरोहित निवासी बागर बस्ती वार्ड नं० उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज० पर शास्ति 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू०) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(29.10.21)
(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०